UPKU010042602026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1256/2026

सुजीत रावत बउम्र 25 वर्ष पुत्र सुरेन्द्र, साकिन– वार्ड नंबर 11 सुबाषनगर उत्तरी कप्तानगंज, थाना– कप्तानगंज, जनपद– कुशीनगर।

---अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

---विपक्षी

मु०अ०सं०– 100/2026
धारा–109 B.N.S
थाना– कप्तानगंज,
जनपद– कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1–यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त सुजीत रावत की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2–संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह आज दिनांक 08.04.2026 को मय हमराहीगण के साथ देखभाल क्षेत्र, रोकने जुर्म जरायाम, पेण्डिंग विवेचना व चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व वांछित की तलाश में मामूर होकर डीसीएफ चौक पहुँचा जहाँ पर चौकी प्रभारी कस्बा उ०नि० बबलू कुमार सोनकर मय हमराहियान तथा कुछ देर में प्र०नि० थाना कसया आशुतोष सिंह मय हमराहियान के साथ मौके पर उपस्थित आये। मुखबिर खास की सूचना पर हसनगंज चौराहे से भिउरा गाँव को जाने वाली रास्ते पर पहुँचकर व्यवस्थित हुए तथा इन्तजार करने लगे कि थोडी देर बाद एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर आते हुए दिखाई दिये। उपस्थित फोर्स की मदद से आ रहे मोटरसाईकिल को टार्च व ड्रैगन लाईट की रोशनी से संकेत देते हुए रोकने का इशारा किया गया तो हम पुलिस वालो को देखते ही मोटरसाईकिल बाएं तरफ खेत की तरफ लेकर भागने का प्रयास किया कि योजना के मुताबिक चारों तरफ से उपस्थित हम पुलिस वालो द्वारा गिरफ्तारी करने हेतु घेराबंदी की गयी तो मोटरसाईकिल पर आगे बैठा व्यक्ति हम पुलिस वालों को ललकारते हुए कि अपने असलहों से इन पर फायर करों नही तो यह सब हम लोगों को पकड़ लेंगे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति सडक के किनारे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर सागवान के बगीचे में भागकर झाड़ झंगाड में घुसकर हम पुलिस

वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर झोक दिये। हम पुलिस वाले न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर से बचते हुए फायर किया तो एक बदमाश के बाँए पैर के घुटने के नीचे गोली लग गयी जिससे बदमाश घायल होकर वही पर गिर गया। बदमाश का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम आदित्य साहनी बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ मे एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर, नाल से फायर बारूद जैसी गंध आ रही है, तथा पहनी हुई पैण्ट के दाहिने जेब से 1000 रूपये जिसमें 500–500 रूपये की दो नोट बरामद हुई, तथा पास में ही ड्रैगन लाईट की मदद से खोजने पर एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ तथा बरामद पिस्टल से 2 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। अन्य एक बदामश सुजीत रावत का पीछा किया गया परन्तु वह भाग गया, तत्पश्चात घायल आदित्य साहनी से 32 बोर पिस्टल रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त के पास से बरामद मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर, का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया तो hero Splendor, वाहन संख्या UP57BL5829 काले रंग की मौके से बरामद हुई।

3–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे प्रस्तुत केस में रंजिशन फर्जी अभियुक्त बना दिया गया है। नो इन्जरी केस है। किसी को कोई चोट नहीं आयी है। अभियुक्त के कब्जे से किसी हथियार की बरामदगी नहीं हुयी है। अभियुक्त आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति नही है। अभियुक्त का कोई गैंग भी नही है तथा किसी गैंग का सदस्य भी नही है लेकिन सबूत पक्ष द्वारा अभियुक्त को गलत तथ्यों के आधार पर आपराधिक इतिहास बनाने का कुप्रयास किया गया है। सम्पूर्ण पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर यह विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध सम्पूर्ण पत्रावली में धारा 109 B.N.S. का आरोप गठित करने के लिए कोई साक्ष्य नही है तथा प्रार्थी ने उक्त अपराध से सम्बन्धित कोई आपराधिक कृत्य भी नही किया है। तथाकथित हीरो स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल UP57BL–5829 अभियुक्त की नहीं है और न ही उससे बरामद हुई है। प्रस्तुत केस No Injury का केस है। उक्त केस में कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। केवल पुलिस के लोग गवाह है। समता का मामला है। सह अभियुक्त आदित्य साहनी की जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर द्वारा दिनांक 01–07–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। तदनुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस में कहा गया है कि प्रश्नगत अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त आदित्य साहनी के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया परन्तु पुलिस पार्टी बाल बाल बच गयी। सह अभियुक्त आदित्य साहनी के पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व एक अदद फायरशुदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

5–मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नो इन्जरी केस है। पुलिस पार्टी के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं आयी है। समता का मामला है। सह अभियुक्त

आदित्य साहनी जो मौके पर पकड़ा गया था तथा जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व एक अदद फायरशुदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ था, की जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर द्वारा दिनांक 01–07–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रश्नगत अभियुक्त न तो मौके से पकड़ा गया है और न ही उसके कब्जे से कोई हथियार बरामद हुआ है। प्रश्नगत अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।

7– अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बगैर न्यायालय की राय में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सुजीत रावत की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये के दो प्रतिभू व समान धनराशि का निजी मुचलका सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाय–

1– अभियुक्त आरोप व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करेगा।

2– अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिग्य किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।

दिनांकः 09.07.2026

R.P. Shukla

(राम अवतार यादव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by RAMAUTAR YADAV
Date: 2026.07.09 16:25:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court